न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 04/2023

1. जगदीश सिंह पुत्र जवाहर लाल जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा
2. विजेन्द्र सिहं पुत्र जवाहर लाल जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा

..अपीलांट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. कलावती देवी पत्नि स्व0 राजेन्द्र सिंह
2. कमला देवी पत्नि स्व0 राजेन्द्र सिंह
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा राज.

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं. 672 वाके ग्राम ठेकडा तहसील महवा जो कि तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 4.7.2018 को दीगर व्यक्ति के नामान्तरण में फर्जकारी करके राजेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह मीना निवासी मीना सीमला के बजाय कलावती पत्नि राजेन्द्र व कमला देवी पत्नि राजेन्द्र मीना के नाम तस्दीक किया गया है।

उपस्थित–1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, रेस्पों0सं0 1 व 2 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 28.07.2023

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 672 से व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि अपीलांट ने पूर्व में एक वाद पत्र उनवानी जगदीश सिंह बनाम कलावती वगै0 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय सिकराय में दिनांक 15.10.2022 को पेश किया गया था। जिसमे यधपि वादकरण उत्पन्न होने के उपरांत जानकारी की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण सं0 672 की प्रमाणित नकल ली जाकर उक्त उक्त वाद के साथ प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट को दिनांक 9.1.2023 को अपने अधिवक्ता से उक्त प्रकरण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही बाबत मिलने पर नामान्तरण सं0 628 व 672 में फर्जकारी की जानकारी होते ही दिनांक 9.1.2023 को ही नकल प्राप्त की जिस पर बिना कोई देरी किये प्रश्नगत नामान्तरण के अवैध व फर्जी अंकन को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नगत नामान्तरण सं0 672 दिनांक 4.7.2017 में रेस्पों. सं. 1 व 2 के हक में किया गया नाामान्तरण अंकन फर्जकारी कर किया गया है जिसकी पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए फर्जकारी कर बाद में किये गये नामान्तरण अंकन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की दिनांक तक के गुजरे हुए समय को न्याय हित में डिले कन्डोन फरमाई जावे। बहस प्रार्थना पत्र उफा 5 मियाद अधिनियम पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

....निरन्तर 2 पर

जिला कलक्टर,दौसा

मूल नामान्तरण अपील पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि ग्राम ठेकडा पटवार मंडल ठेकडा तहसील महवा की राजस्व सीमा में आराजी भूमि खसरा नंबर नम्बर 10 रकबा 4 बीघा स्थित रही है। अपीलान्ट्स के पिता जवाहर लाल चौधरी ने अपने जीवन काल में अपनी निजी आय से उक्त वर्णित आराजी भूमि के खातेदार श्री दिलीप सिंह राजपूत निवासी रामगढ़ जिला सवाई माधोपुर से एक प्लॉट/भूखण्ड चारों तरफ से पुख्ता नींव भरा हुआ व कुर्सी तक बाउण्ड्रीशुदा जिसकी नाप पूर्व–पश्चिम उत्तर की ओर 34 फीट तथा पूर्व–पश्चिम दक्षिण की ओर 31 फीट तथा उत्तर–दक्षिण पूर्व की तरफ 76 फीट तथा उत्तर–दक्षिण पश्चिम की तरफ 63 फीट जिसका क्षेत्रफल 226 वर्गगज एव चतुर्थ सीमा पूर्व में 75 फिट भूमि छोड़कर जयपुर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.11 हाल एन. एच. 21) पश्चिम में खसरा नम्बर 10 का भाग उत्तर में मंदिर श्रीगंगाजी दक्षिण में खसरा नम्बर 10 का भाग है, को अपने बड़े पुत्र राजेन्द्रसिंह के नाम से दिनांक 18.07.1975 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 10,000/– रूपये की एवज में खरीद की एवं इसी आराजी भूमि में से अपीलान्ट्स के पिता जवाहरलाल चौधरी ने उक्त आराजी भूमि के खातेदार दिलीप सिंह राजपूत निवासी रामगढ़ से एक अन्य भूखण्ड जिसकी नाप उत्तर–पूर्व की ओर 39 फिट, पूर्व–पश्चिम उत्तर की ओर 60 फिट, पूर्व–पश्चिम दक्षिण की ओर 45 फिट तथा चतुर्थ सीमा पूर्व दिशा में मकान पुख्ता क्रेता राजेन्द्र सिंह चौधरी पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 10 का भाग उत्तर दिशा में मंदिर श्री गंगाजी दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 10 का भाग स्थित है, को अपने बड़े पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम से दिनांक 09.09.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 3,000/– रूपये की एवज में खरीद किया था। उक्त वर्णित आराजी भूमि का बाद में तकास्मा होकर नये खसरा नम्बर 42/565 रकबा 0.98 है. कायम हुए (जिसमें रकबा 0.0350 है. किस्म गै. मु. आबादी तथा रकबा 0.9450 किस्म बारानी ए) हैं। चूंकि उक्त आराजी भूमि में से अपीलान्ट्स के पिता जवाहर लाल चौधरी द्वारा अपनी निजी आय से उपरोक्त वर्णित दोनों भूखण्ड क्रय किये गये थे, और उक्त क्रय किये गये भूखण्ड़ो पर उनके द्वारा ही मकान दुकानात आदि तामीरात कराये गये, जिनका अपीलान्ट्स के पिता जवाहर लाल चौधरी अपने जीवन काल में उपयोग उपभोग करते रहे, तथा अपीलान्ट्स तथा रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के पति व अपीलान्ट्स के बड़े भाई राजेन्द्र सिंह भी पिता जवाहर लाल चौधरी के साथ ही उक्त क्रय की सम्पत्ति पर काबिज होकर लाभान्वित होते रहे हैं। चूंकि श्री जवाहर लाल चौधरी ने अपने जीवन काल में अपनी निजी आय से अपने बड़े पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम से क्रय की गई उक्त सम्पत्ति का खातेदार दिलीप सिंह राजपूत से दिलीपसिंह के जीवन काल में नामान्तरण नहीं खुलवाया था। इसी बीच अपीलान्ट्स के पिता जवाहर लाल चौधरी की मृत्यु दिनांक 18.08.1999 को एवं अपीलान्ट्स के बड़े भाई व रेस्पोडेन्ट्स संख्या एक व दो के पति राजेन्द्रसिंह की मृत्यु दिनांक 19.08.2012 को हो गई थी। इसके पश्चात् समय गुजरने पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या एक व दो के मन में बदनियती आ जाने के कारण उन्होने उक्त वर्णित आराजी भूमि के खातेदार दिलीप सिंह राजपूत के पुत्रान पुष्पेन्द्र सिंह, नटवरसिंह, मधुसूदनसिंह से तथा तत्कालीन तहसीलदार तहसील महवा से साजिशी तौर पर मिलीभगत करके अपीलान्ट्स को नुकसान पहुँचाने की गरज से पहले तो अपने मृतक पति राजेन्द्र सिंह के नाम उक्त वर्णित आराजी में से क्रय की गई भूमियों बाबत नामान्तरण किसी अन्य दीगर व्यक्ति के नामान्तकरण संख्या 628 में गलत तरीके से फर्जकारी करते/कराते हुए, दिनांक 28.10.2016 को उक्त नामान्तरण में अपने मृतक पति राजेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति मीना निवासी मीना सीमला के नाम का नामान्तकरण खुलने का गलत इन्द्राज करा लिया, फिर पुनः दिनांक 04.07.2018 को दीगर व्यक्ति के नामान्तकरण संख्या 672 में राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह जाति मीना के बजाय कलावती पत्नि राजेन्द्र व कमला देवी पत्नि राजेन्द्र (क्रमशः रेस्पोडेन्ट्स संख्या एक व दो) के नाम से मिलीभगत व फर्जकारी करते/कराते हुए नामान्तरण

....निरन्तर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का विधि विरूद्ध रूप से गलत अंकन करवा लिया। अधिनस्थ तहसीलदार तहसील महवा ने दिनांक 04.07.2018 को किसी दीगर व्यक्ति के नामान्तकरण में फर्जकारी करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पति राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह जाति मीना के बजाय कलावती पत्नि राजेन्द्र व कमला देवी पत्नि राजेन्द्र जाति मीना के नाम से विधि विरूद्ध रूप से गलत व फर्जी इन्द्राज किया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या एक व दो के पति राजेन्द्रसिंह की दिनांक 19.08.2012 को ही मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जबकि मृतक व्यक्ति राजेन्द्र सिंह का उसके जीवनकाल में कोई नामान्तरण ही नहीं था, तहसीलदार महवा ने किस आधार पर नामान्तकरण संख्या 672 में दिनांक 04.07.2018 में रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो के नाम किस आधार पर कर दिया, और दीगर व्यक्ति के नामान्तरण में इस प्रकार का इन्द्राज करके बहुत बड़ी फर्जकारी व कानूनी गलती की है, इसलिए उक्त नामान्तकरण संख्या 672 में रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम किये गये नामान्तरण इन्द्राज को प्रथम दृष्टया निरस्त किया जाना न्यायोचित है, क्योंकि कोई भी नामान्तकरण किसी व्यक्ति के नाम अलग से खोला जाता है, किसी दीगर व्यक्ति के नामान्तरण में किसी अन्य व्यक्ति के नामान्तरण अंकन का इन्द्राज नहीं किया जाता है, इसलिए भी उक्त नामान्तकरण संख्या 672 में किया गया रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो के हक में किया गया फर्जी नामान्तकरण अंकन निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 672 ईतबाई बेवा परबी की विरासत का नामान्तकरण है, जो ईतबाई बेवा परबी के वारीसान चिम्मन, ग्यारसीलाल, जसराम, रामेश्वर पि. परबी के नाम जमाबन्दी अनुसार खोला गया नामान्तरण है, ऐसी स्थिति में दीगर के उक्त नामान्तरण संख्या 672 में ही राजेन्द्रसिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति मीना के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के हक में फर्जकारी करते/कराते हुए किया गया नामान्तरण अंकन निरस्त किये जाने योग्य है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, कि किसी भी नामान्तरण को खोलने से पूर्व जब तहसीलदार या ग्राम पंचायत के समक्ष यह तथ्य आता है, कि नामान्तरण पैतृक सम्पत्ति का है या विरासत का है, तो नामान्तकरण खोलने से पहले उक्त व्यक्ति का सजरा बनाया जाता है. ऐसी ही हस्तगत प्रकरण में चुनौती दिये गये नामान्तरण संख्या 672 में हुआ है, जिसमें ईतबाई के वारीसान का सजरा कायम किया हुआ है, इससे स्पष्ट होता है, कि मृतक राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह के बजाय कलावती पत्नि राजेन्द्र व कमला देवी पत्नि राजेन्द्र के नाम का अंकन फर्जकारी करके ईतबाई के नामान्तरण में ही अंकन किया गया है, लेकिन राजेन्द्र सिंह का कोई सजरा उक्त नामान्तरण में अंकित नहीं किया है, इसलिए सजरे के अभाव में रेस्पान्डेन्ट संख्या एक व दो के हक में किया गया इन्द्राज अवैध शून्य व निष्प्रभावी है, इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के हक में नामान्तरण संख्या 672 में किये गये अवैध व फर्जी अंकन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार तहसील महवा ने रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो से मिलीभगत कर जानबूझ कर इन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से, यह सब कुछ जानते हुए कि पहले तो दिलीप सिंह राजपूत के वारीसान से रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो के मृतक पति राजेन्द्र सिंह के हक में नामान्तरण संख्या 628 में फर्जी अंकन करवाया और फिर दीगर व्यक्ति के नामान्तकरण संख्या 672 में फर्जकारी करते हुए मृतक राजेन्द्र पुत्र जवाहरसिंह के बजाय रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो के नाम नामान्तरण अंकन करवाया गया है, जो कि अवैध व फर्जी अंकन होने के साथ–साथ विधि विरूद्ध भी है, क्योंकि प्रश्नगत सम्पत्ति को अपीलान्ट्स व मृतक राजेन्द्र सिंह के पिता जवाहरलाल ने ही अपनी निजी आय से खरीद किया था, इसलिए उक्त सम्पत्ति जवाहर लाल के परिवार की संयुक्त सम्पत्ति थी जिसमें अपीलान्ट्स का हक व हिस्सा निहित था, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने तहसीलदार तहसील महवा से मिलीभगत करते हुए अनुचित रूप से दीगर व्यक्ति के नामान्तरण संख्या 672 में फर्जकारी करवाकर अपने नाम से नामान्तरण अंकन करवाया है, ऐसे में उक्त नामान्तकरण संख्या 672 में फर्जकारी अंकन को प्रथम दृष्टया निरस्त किया जाना आवश्यक है।

....निरन्तर 4 पर

जिला कलक्टर,दौसा

अपीलान्ट्स के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के ससुर जवाहरलाल उर्फ जवाहरसिंह ने अपनी निजी आय से ही अपनी सरकारी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पति स्व. राजेन्द्रसिंह के अपने बड़े पुत्र होने एवं कर्ताखानदान एवं घर परिवार की सार–संभाल करने के कारण ही उक्त वर्णित आराजी भूमि में से क्रय किये गये दोनों भूखण्ड़ों का विक्रय पत्र राजेन्द्रसिंह के नाम से पंजीकृत करवाया था, ऐसी स्थिति में खातेदार दिलीपसिंह राजपूत के वारीसान द्वारा राजेन्द्रसिंह के नाम किये हुए विक्रय पत्रों के आधार पर, उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त बेचान की गई सम्पत्ति का नामान्तरण कानूनन अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के हक में खुलवाया जाना चाहिए था, लेकिन बदनीयतीपूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने तहसीलदार तहसील महवा से मिलीभगत करके स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाने के मकसद से पहले तो दीगर व्यक्ति के नामान्तरण संख्या 628 में फर्जकारी करवायी और मृतक राजेन्द्रसिंह के हक में उनकी मृत्युपरांत नामान्तरण अंकन करवाया और फिर पुनः दीगर व्यक्ति के नामान्तकरण संख्या 672 में फर्जकारी करवाकर मृतक राजेन्द्र पुत्र जवाहरसिंह के बजाय स्वय रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अपने हक मे फर्जी नामान्तरण अंकन करवा लिया। अपीलान्ट्स ने पूर्व में एक वादपत्र उनवानी जगदीशसिंह बनाम कलावती वगै, दिनांक 15.10.2022 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय सिकराय के समक्ष बाबत अधिघोषणा, विभाजन, अन्तःकालीन लाभ व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था, जिसमें यद्यपि वादकारण उत्पन्न होने के उपरान्त जानकारी की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 672 की प्रमाणित नकल ली जाकर उक्त वादपत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जब अपीलान्ट्स नववर्ष में दिनांक 09.01.2023 को अपने अधिवक्ता से अपने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही बाबत वार्ता करने के लिए जाकर मिले, तब अपीलान्ट्स को अधिवक्ता ने उक्त प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 672 व 628 में फर्जकारी कर किये गये नामान्तरण अंकन के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने की कही, तब तुरन्त ही अपीलान्ट्स ने दिनांक 09.01.2023 को ही तहसील महवा में जाकर नामान्तरण संख्या 672 की प्रमाणित नकल लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी दिनांक 09.01.2023 को ही प्रमाणित नकल प्राप्त हो गयी, जिस पर बिना कोई देरी किये प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 672 के अवैध व फर्जी नामान्तरण अंकन को निरस्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील महवा के द्वारा किसी दीगर व्यक्ति के नामान्तरण संख्या 672 में फर्जकारी करके फर्जी, अवैध व विधि विरुद्ध रूप से राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह जाति मीना के बजाय कलावती पत्नि राजेन्द्र व कमला देवी पत्नि राजेन्द्र जाति मीना के नाम तस्दीक किये गये नामान्तरण अंकन को निरस्त फरमाया जावे साथ ही राजस्व अभिलेख में फर्जी अंकन के लिए संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे।

अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व 2 की ओर से बहस में दलील दी गई कि पटवारी हल्का ठेकडा के द्वारा रेस्पो0 के पति की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामान्तरण विधिवत् रूप से भरा जाकर तहसीलदार महवा के द्वारा तस्दीक किया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक महवा के द्वारा तुलनात्मक अंकन सही होना माना जाकर तहसीलदार महवा द्वारा नियमोचित तरीके से नामान्तरण खोला गया है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पों0 सं0 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि तहसीलदार महवा के द्वारा पारित नामान्तरण आदेश विधिसम्मत एवं प्रकिया के अनुसार पटवारी द्वारा भरा जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक महवा के तुलनात्मक अंकन के पश्चात खोला गया है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

....निरन्तर 5 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न मूल नामान्तरण सं0 672 का अवलोकन किया गया। मुताबिक नामान्तरण सं0 672 में इतबाई बेवा परबी की विरासत का नामान्तरण उसके विधिक वारिसान चिम्मन, ग्यारसीलाल, जयराम, रामेश्वर पि0 परबी के नाम पटवारी हल्का ठेकडा के द्वारा भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक महवा के तुलनात्मक अंकन के पश्चात तहसीलदार महवा के द्वारा दिनांक 04.7.2018 को तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरण पर इतबाई का सजरा भी अंकन हो रहा है। उसके पश्चात अपीलांट्स के भाई राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह मीना की विरासत जो कि राजेन्द्र की दोनों पत्नियों अर्थात रेस्पों0 सं0 1 व 2 के नाम का अंकन बाद में पृथक से किया जाना स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना प्रमाणित होता है। हम अधिवक्ता अपीलांट्स की इस दलील से सहमत हैं कि कोई भी नामान्तरण किसी व्यक्ति के नाम अलग से खोला जाता है किसी दीगर के नामान्तरण में किसी अन्य व्यक्ति के नामान्तरण इन्द्राज नहीं किया जा सकता है। पटवारी हल्का ठेकडा द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पूर्व से तस्दीकशुदा नामान्तरण में मृतक राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह मीना की विरासत का नामान्तरण जो कि मृतक राजेन्द्र की दोनों पत्नियों के नाम जोडा गया है जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। हम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील में सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 672 को राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह मीना की विरासत के अंकन की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार महवा को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में रेस्पों0 सं0 1 व 2 के पति की विरासत का नामान्तरण पृथक से वारिसान की नियमानुसार जांच कर नियमोचित कार्यवाही की जावे। साथ ही संबंधित दोषी पटवारी जिसके द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया गया है, उसके विरूद्ध सी0सी0ए0 रूल्स 16 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख कलैक्ट्रेट दौसा को प्रेषित हो। तहसीलदार महवा को अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 28 जुलाई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा